FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0001   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 04/01/2024 20:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 02/01/2024   Date To (दिनांक तक): 03/01/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर 6   Time From (समय से): 17:15 बजे   Time To (समय तक): 15:45 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 02/01/2024   Time (समय): 17:15 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 04/01/2024 20:26:18 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 55 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b)Address(पता): tea shop near, Aligarh, Tonk

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Rekhraj Meena

(b) Father's Name (पिता का नाम): Shrilal Meena

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1984 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Nainwa Road, Near Essar Petrol Pump, Karwar, Bundi, KARVAR, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Nainwa Road, Near Essar Petrol Pump, Karwar, Bundi, KARVAR, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-9929189922

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Ramlal		पिता:Sujaram	1. 14,Bhagwati Nagar,Captain Colony,Chawni,Tonk,TONK,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक विषयः- रिश्वत लेते पकडवाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मैं रेखराज मीना उर्फ लाखन मीना पुत्र श्री श्रीलाल मीना जाति मीना उम्र 40 साल निवासी नैनवा रोड, ऐस्सार पेट्रोप पम्प के पास करवर जिला बूंदी का रहने वाला हुॅ। मैं वर्तमान में कोटा रहता हुॅ। मेरी शादी ग्राम सहिदाबाद पुलिस थाना अलीगढ जिला टोक में श्रीमति आशा बाई मीना पुत्र श्री रामेश्वर मीना से हुई थी। आज से करीब 3 माह पहले की बात है कि मेरा साला श्री आशाराम मीना व उसके रिश्तेदार रामनरेश मीना में आपस में लडाई झगडा हो गया था। जिसकी रिपोर्ट रामनरेश मीना ने अलीगढ थाने में करवाई थी जिस पर एफ.आई.आर. दर्ज की थी जिसके नम्बर 179/2023 है। जिसकी जांच श्री रामलाल जी ए.एस.आई. साहब कर रहे है। मेरा साला श्री आशाराम मीना को अलीगढ पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो करीब 20-25 दिन से टोक जैल में बंद है। मैं आज उनियारा में श्री रामलाल जी ए.एस.आई. साहब से मिला तथा मेरे साले का चालान पेश करने हेतु कहाँ तो ए.एस.आई. साहब कहने लगे कि चालान ऐसे पेश नही होगा तु मुझे 2000 रूपये फाईल का खर्चो देगा तब तेरे साले का चालान पेश करूगाँ और कहाँ कि मुझे ए.पी.पी. साहब को पैसे देने पडते है। मैं ए.पी. पी. साहब से मिला तो उन्होने कहाँ कि मैने कोई रूपये नही मांगे फाईल में कमी बताई है जिसकी पूर्ति कर लाने हेतु कहाँ है। श्री रामलाल जी ए.एस.आई. साहब मेरे से मेरे साले श्री आशाराम मीना के खिलाफ दर्ज केस में चालान पेश करने की एवज में 2000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं जायज काम के बदले में श्री रामलाल जी ए.एस.आई. पुलिस थाना अलीगढ जिला टोक को रिश्वत नही देना चाहता हुॅ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुॅ। मेरी श्री रामलाल ए.एस. आई. पुलिस थाना अलीगढ जिला टोक से कोई पैसे का लेन-देन बकाया नही है तथा नाहि आपसी रंजीश है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी रेखराज मीना उर्फ लाखन मीना पुत्र श्री श्रीलाल मीना जाति मीना उम्र 40 साल निवासी नैनवा रोड, ऐस्सार पेट्रोप पम्प के पास करवर जिला बूंदी मो.न. 9929189922 कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक दिनांक 02.01.2024 समय 5.15 पी.एम. पर परिवादी श्री रेखराज मीना उर्फ लाखन मीना पुत्र श्री श्रीलाल मीना जाति मीना उम्र 40 साल निवासी नैनवा रोड, ऐस्सार पेट्रोप पम्प के पास करवर जिला बूंदी ने उपस्थित चौकी हाजा होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं नैनवा रोड, ऐस्सार पेट्रोप पम्प के पास करवर जिला बूंदी का रहने वाला हुॅ। मैं वर्तमान में कोटा रहता हुॅ। मेरी शादी ग्राम सहिदाबाद पुलिस थाना अलीगढ जिला टोक में श्रीमति आशा बाई मीना पुत्र श्री रामेश्वर मीना से हुई थी। आज से करीब 3 माह पहले की बात है कि मेरा साला श्री आशाराम मीना व उसके रिश्तेदार रामनरेश मीना में आपस में लडाई झगडा हो गया था। जिसकी रिपोर्ट रामनरेश मीना ने अलीगढ थाने में करवाई थी जिस पर एफ.आई.आर. दर्ज की थी जिसके नम्बर 179/2023 है। जिसकी जांच श्री रामलाल जी ए.एस.आई. साहब कर रहे है। मेरा साला श्री आशाराम मीना को अलीगढ पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो करीब 20-25 दिन से टोक जैल में बंद है। मैं आज उनियारा में श्री रामलाल जी ए.एस.आई. साहब से मिला तथा मेरे साले का चालान पेश करने हेतु कहाँ तो ए.एस.आई. साहब कहने लगे कि चालान ऐसे पेश नही होगा तु मुझे 2000 रूपये फाईल का खर्चो देगा तब तेरे साले का चालान पेश करूगाँ और कहाँ कि मुझे ए.पी.पी. साहब को पैसे देने पडते है। मैं ए.पी.पी. साहब से मिला तो उन्होने कहाँ कि मैने कोई रूपये नही मांगे फाईल में कमी बताई है जिसकी पूर्ति कर लाने हेतु कहाँ है। श्री रामलाल जी ए.एस.आई. साहब मेरे से मेरे साले श्री आशाराम मीना के खिलाफ दर्ज केस में चालान पेश करने की एवज में 2000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं जायज काम के बदले में श्री रामलाल जी ए.एस.आई. पुलिस थाना अलीगढ जिला टोक को रिश्वत नही देना चाहता हुॅ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुॅ। मेरी श्री रामलाल ए.एस.आई. पुलिस थाना अलीगढ जिला टोक से कोई पैसे का लेन-देन बकाया नही है तथा नाहि आपसी रंजीश है। प्रार्थना पत्र परिवादी को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी ने मजिद दरियाप्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वंय के द्वारा हस्तलिखित होकर द्वारा हस्ताक्षरित करना बताया। परिवादी ने स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः विभागीय प्रक्रियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 02.01.2024 समय 6 पी.एम. पर परिवादी श्री रेखराज मीना उर्फ लाखन मीना ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी काफी समय हो चुका है। श्री रामलाल जी ए.एस.आई.

साहब इस समय थाने पर नही मिलेगे। इस कारण मैं कल दिनांक 03.01.2024 को श्री रामलाल जी ए.एस.आई. साहब से मिलकर मेरे साले श्री आशाराम मीना के विरूद्व दर्ज प्रकरण में चालान पेश करने हेतु वार्ता करूगाँ तथा रिश्वत में दी जाने वाले राशि के सम्बन्ध में भी वार्ता कर लूंगा। दिनांक 02.01.2024 समय 6.15 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 को तलब कर परिवादी श्री रेखराज मीना उर्फ लाखन मीना से आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की गई तथा परिवादी को समझाईस की गई कि आरोपी के पास माँग सत्यापन वार्ता करने जाने से पूर्व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करे। समय करीब 6.40 पी.एम. पर परिवादी को उचित हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया गया। दिनांक 03.01.2024 समय 9.40 ए.एम. पर परिवादी श्री रेखराज मीना उर्फ लाखन मीना ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जर्ये दूरभाप बताया कि मेरी श्री रामलाल जी ए.एस.आई. से बात हुयी है उन्होंने मुझे 11-11.15 बजे के आस-पास पुलिस थाना अलीगढ पर बुलाया है। अतः आप श्री राजकुमार जी को वायस रिकार्डर देकर अलीगढ भेज देवे। इस पर श्री राजकुमार कानि. 160 को तलब कर सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर में खाली मेमोरी कार्ड डालकर उचित हिदायत देकर माँग सत्यापन वार्ता हेतु अलीगढ रवाना किया गया। दिनांक 03.01.2024 समय 12.45 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 ने जरिये दूरभाप मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता हो गई है। उस वार्ता को मेरे द्वारा सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 2000 रूपये की माँग कर रहा है तथा आज ही रिश्वत राशि देने हेतु कह रहा है। इस पर परिवादी श्री रेखराज मीना उर्फ लाखन मीना से भी वार्ता की गई तो उसने भी बताया कि श्री रामलाल जी एएसआई साहब से वार्ता हो गई है जो वार्ता मैंने आपके द्वारा दिये वायस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है तथा वायस रिकार्डर श्री राजकुमार जी को दे दिया है। श्री रामलाल जी ए.एस.आई. साहब द्वारा आज ही 2 घंटे में देने में रिश्वत की राशि देने हेतु कहा है। इस पर परिवादी को रिश्वती राशि के बारे में पूछा गया तो उसने स्वंय के पास होना बताते हुये बताया कि आपके कार्यालय में उपस्थित होने में समय अधिक लगेगा। जिस पर परिवादी व राजकुमार कानि. को हिदायत दी गई कि वह सुरक्षित स्थान हाईवे अलीगढ उनियारा रोड पर इंतजार करे। मैं कार्यवाही हेतु मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता तथा आवश्यक साम्रगी लेकर अलीगढ पहुॅच रहा हुॅ। दिनंाक 03.01.2024 समय 12.55 पी.एम. पर श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय प्रमुख स्वास्थय विभाग सहादत अस्पताल टोक के नाम तहरीर जारी कर उचित हिदायत कर रवाना किया गया। दिनंाक 03.01.2024 समय 1.10 पी.एम. पर श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी हमराह कार्यालय प्रमुख स्वास्थय विभाग सहादत अस्पताल टोक से दो स्वंतत्र गवाह 1. श्री घनश्याम लाल योगी पुत्र श्री गोपीलाल योगी उम्र 56 साल जाति नाथ उम्र 56 साल निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक पी.एम.ओ. कार्यालय सहादत अस्पताल टोक मोबाईल नम्बर 9461965520 2. श्री आफाक अहमद पुत्र श्री मुस्ताक अहमद जाति पठान उम्र 47 साल निवासी सैयद कॉलोनी गोल मजिस्द के पीछे टोक हाल वरिष्ठ सहायक पी.एम.ओ. कार्यालय सहादत अस्पताल टोक मोबाईल नम्बर 9269080607 के उपस्थित कार्यालय आये। दोनो गवाहान का परिचय लिया जाकर स्टाफ से परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान से ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो ने अपनी-अपनी सहमति दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र गवाहान को पढाया जाकर उनके हस्ताक्षर करवाये गये। दिनंाक 03.01.2024 समय 1.25 पी.एम. पर श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी भ्र. नि.ब्यूरो टोक से कार्यालय आलमारी में से फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर सरकारी गाडी बोलेरो के डेस्क बॉक्स में सुरक्षित रखवायी गयी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री आसिफ खान स.उ.नि., श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री अजित सिंह कानि. 56, श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम लाल योगी, गवाह श्री आफाक अहमद मय लैपटॉप प्रिन्टर एवं तैयारशुदा ट्रेपबॉक्स मय सरकारी वायॅस रिकार्डर के मय प्राईवेट वाहन तथा सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री गणेश सिंह कानि. 375 के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु अलीगढ के लिये रवाना हुआ । दिनांक 03.01.2024 समय 2.20 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से हाईवे अलीगढ उनियारा रोड पर पहुॅचा। जहाँ वाहनो को रोड पर एक साईड एकान्त में खडा किया गया वही पर श्री राजकुमार कानि. व परिवादी श्री रेखराज उर्फ लाखन मीना उपस्थित मिले। परिवादी का गवाहान से परिचय करवाया गया। श्री राजकुमार कानि द्वारा वायस रिकार्डर प्रस्तुत कर आरोपी श्री रामलाल ए.एस.आई. व परिवादी के मध्य होने वाली रिकार्ड वार्ता में रिश्वत माँग होना बताया। परिवादी से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूछा तो परिवादी ने बताया कि श्री राजकुमार जी के अलीगढ आने पर राजकुमार जी ने वायस रिकार्डर चालू करके मुझे माँग सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना अलीगढ भेजा था। मैं राजकुमार जी के पास से रवाना होकर पुलिस थाना अलीगढ गया तथा वहाँ पर श्री रामलाल जी ए.एस.आई.से मिला तथा उनसे मेरे साले के विरूद्व दर्ज प्रकरण में चालान पेश करने हेतु निवेदन किया तो श्री रामलाल जी ए.एस.आई. साहब ने मुझसे चालान पेश करने की एवज में ए.पी.पी. व कोर्ट मंुशी को रूपये देने का बहाना बनाकर सावधानी बरतते हुये 2000 रूपये रिश्वत की माँग की। मैं थाना अलीगढ से रवाना होकर वापस श्री राजकुमार जी के पास आया तथा वायस रिकार्डर सुपर्द किया। राजकुमार जी ने वायस रिकार्डर बंद कर

अपने पास रख लिया तथा मैने उनको सारी बात बताई जिस पर उन्होने वायस रिकार्डर को चलाकर सुना तथा आपको बताया था तथा मेरी भी आपसे बात करवाई थी। जिस पर श्री राजकुमार कानि. से वायस रिकार्डर प्राप्त कर रिकार्डर को चालू कर वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा रिश्वत की मॉंग करना सत्यापित हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान को भी मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। आइन्दा पृथक से फर्द टासक्रिप्ट तैयार की जावेगी। दिनांक 03.01.2024 समय 2.45 पी.एम. पर परिवादी श्री रेखराज उर्फ लाखन मीना को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 4 नोट कुल 2 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर सरकारी वाहन के डेस्क बाक्स से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्री भूपेन्द्र कुमार सहा0प्रशा0 अधिकारी से निकलवाई जाकर श्री भूपेन्द्र कुमार से ही रोड पर अखबार बिछा कर उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया एवं फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस श्री भूपेन्द्र कुमार से सरकारी गाडी के डेस्क बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी श्री रेखराज उर्फ लाखन मीना की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री घनश्याम लाल योगी से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुये रिश्वती राशि परिवादी श्री रेखराज उर्फ लाखन मीना के पहनी हुयी पेन्ट की दायी जेब में श्री भूपेन्द्र कुमार से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया का दृष्टान्त देकर समझाई गई तथा परिवादी को सिर पर साफी बांधने का रिश्वत राशि के लेनदेन का निर्धारित ईशारा करने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी से आरोपी की लोकेशन के सम्बंध मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि एएसआई साहब थाने पर ही मिलेगे उन्होने मुझे थाने पर ही बुलाया है। श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से सरकारी गाडी की डेस्क में रखी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाई जाकर उचित हिदायत कर कार्यालय ए.सी.बी. टोक के लिये रवाना किया गया। दिनांक 03.01.2024 समय 3.29 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि0 को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु परिवादी को वायस रिकार्डर चालू कर देने हेतु दिया जाकर वास्ते ट्रेप कार्यवाही परिवादी को अपनी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना अलीगढ के लिये रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री आसिफ खान स.उ.नि., श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री अजित सिंह कानि. 56, स्वतंत्र गवाह श्री घनश्याम लाल योगी, गवाह श्री आफाक अहमद मय लैपटॉप प्रिन्टर एवं तैयारशुदा ट्रेपबॉक्स मय सरकारी वायॅस रिकार्डर के मय प्राईवेट वाहन तथा सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री गणेश सिंह कानि. 375 के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाना अलीगढ के लिये रवाना हुआ। दिनांक 03.01.2024 समय 3.34 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन व सरकारी के परिवादी के पिछे-पिछे पुलिस थाना अलीगढ के पास पहुचा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पुलिस थाना अलीगढ के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकिम हुआ। दिनांक 03.01.2024 समय 4.10 पी.एम. दर्ज रहे कि समय 3.45 पीएम पर परिवादी रेखराज मीना उर्फ लाखन मीना पुत्र श्री श्रीलाल मीना पुलिस थाना अलीगढ ने पुलिस थाना अलीगढ के पास स्थित चाय की दूकान पर बैठे हुए अपने सिर पर साफी बांधकर रिश्वत प्राप्ति का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पास पहुंचा, तो परिवादी ने वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। वायस रिकार्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने चाय की दूकान पर पुलिस की वर्दी में बैठे हुए व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि "यह ही रामलाल जी एएसआई है, जिन्होनें मेरे से अभी रिश्वत राशि 2000 रूपये लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेंट की दाहिनी जेब में रखे है।" जिस पर उक्त वर्दीधारी व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री रामलाल पुत्र श्री सुजाराम जाति जाट उम्र 50 साल निवासी खुरेडी थाना पीपलु जिला टोक हाल प्लाट नम्बर 14, भगवती नगर, केप्टन कॉलोनी, छावनी टोक हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अलीगढ जिला टोक होना बताया। जिस पर श्री रामलाल स0उ0नि0 को परिवादी से ली गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो वह घबरा गया तथा बोला कि "साहब इस व्यक्ति ने जबरदस्ती मुझे 2000 रूपये दिये है। मैंने इससे कोई रूपये नही मांगे। इसके द्वारा दिये गये रूपये को मैंने अपनी पहनी हुई वर्दी की पेंट की दाहिनी जेब में रखे है। मेरे से गलती हो गयी। मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूं।" जिस पर स्वतः उपस्थित परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "आज से करीब 3 माह पहले की बात है कि मेरा साला श्री आशाराम मीना व उसके रिश्तेदार रामनरेश मीना में आपस में लडाई झगडा हो गया था। जिसकी रिपोर्ट रामनरेश मीना ने अलीगढ थाने में करवाई थी जिस पर एफ.आई.आर. दर्ज की थी जिसके नम्बर 179/2023 है। जिसकी जांच श्री रामलाल जी ए.एस.आई. साहब कर रहे है। मेरा साला श्री आशाराम मीना को अलीगढ पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो करीब 20-25 दिन से टोक जैल में बंद है। मैं कल उनियारा में श्री रामलाल जी ए.एस.आई. साहब से मिला तथा मेरे साले का चालान पेश करने हेतु कहॉं तो स.उ.नि. साहब कहने लगे कि चालान ऐसे पेश नही होगा तु मुझे 2000 रूपये फाईल का खर्चो देगा तब तेरे साले का चालान पेश करूगॉं और कहॉं कि मुझे ए.पी.पी. साहब को पैसे देने पडते है। मैं ए.पी.पी. साहब से मिला तो उन्होने कहॉं कि मैने कोई रूपये नहीं मांगे फाईल में कमी बताई है जिसकी पूर्ति कर लाने हेतु कहॉं है। श्री रामलाल जी ए.एस.आई. साहब ने मेरे से मेरे साले श्री आशाराम मीना के खिलाफ दर्ज केस में चालान पेश करने की

एवज में 2000 रूपये रिश्वत की मांग की थी जिस पर आज इनकी मांग के अनुसार ही मैनें अभी इन्हें 2 हजार रूपये दिये है, जो इन्होंने लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेंट की दाहिनी जेब रख लिये है।" इस पर आरोपी श्री रामलाल स0उ0नि0 चुप रहा तथा गिडगिडाने लगा। घटनास्थल आम रास्ता होने से काफी भीड एकत्रित हो जाने के कारण मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी श्री रामलाल स.उ.नि. के दाहिने हाथ को श्री आसिफ खान स. उ.नि. से तथा बाये हाथ को श्री राजकुमार कानि. 160 से पकडवाकर पास में ही स्थित पुलिस थाना अलीगढ के अंदर प्रवेश किया जहां थानाधिकारी कक्ष के बाहर श्री हेमराज जी मीणा थानाधिकारी थाना अलीगढ मौजुद मिले जिनको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराही जाप्ता का परिचय देकर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही के लिए उनके कक्ष का उपयोग करने हेतु मौखिक सहमति चाही तो उन्होंने अपनी मौखिक सहमति देने पर मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता मय आरोपी श्री रामलाल स.उ.नि. के कक्ष में प्रवेश किया तथा अग्रिम ट्रैप कार्यवाही आरंभ की गयी। इसके पश्चात् गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ डिसपोजल के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी रामलाल के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। साफ डिसपोजल के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी रामलाल के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी के बताये अनुसार उसकी पहनी हुयी वर्दी की पेंट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह श्री घनश्याम लाल योगी से लिवाई गयी तो 500-500 रूपये के कुछ नोट दिखाई दिये, जिन्हें दोनों गवाहान से गिनवाये तो 500-500 रूपये के 4 नोट कुल 2,000 रूपये होना पाया गया। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया जाकर विवरण निम्नानुसार पाया गया।

1 एक नोट 500 रूपये नम्बरी 3CL 680208
2 एक नोट 500 रूपये नम्बरी 4RD 419057
3 एक नोट 500 रूपये नम्बरी 8HB 619779
4 एक नोट 500 रूपये नम्बरी 6UB 316875

उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क-एन अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके पश्चात् एक साफ डिसपोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। आरोपी पहनने हेतु एक अन्य ट्रेकशुट (लोअर व जेकेट) की व्यवस्था करवाकर आरोपी की पहनी हुयी वर्दी को ससम्मान उतरवाकर पेंट की दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी, को उलटवाकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त पेंट के जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्ड चिट कर मार्क-पी अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लेन-देन वार्ता से सम्बन्धित वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो लेन-देन वार्ता रिकार्डर में रिकार्ड होना पाया गया। आरोपी को परिवादी के साले श्री आशाराम मीणा से सम्बन्धित पत्रावली के सम्बन्ध में पूछा गया उसने प्रकरण संख्या 179/23 धारा 341, 323, 504, 201, 307 भा0द0स0 की पत्रावली अपने कार्यालय कक्ष में होना बताया। जिस पर श्री हेमराज मीणा थानाधिकारी थाना अलीगढ से पत्रावली पेश करने हेतु कहा। जिस पर थानाधिकारी ने उक्त पत्रावली पेश की, पत्रावली के अवलोकन अनुसार उक्त प्रकरण दिनांक 28.09.2023 को पंजीवद्ध हुआ है, प्रकरण में परिवादी श्री रामनरेश मीणा पुत्र रामसहाय मीणा निवासी सईदावाद थाना अलीगढ जिला टोंक व गवाहान के बयान धारा 161 सीआरपीसी में कथन करवाये जा चुके है व गवाह श्री रामनरेश मीणा के बयान धारा 164 सीआरपीसी के कथन करवाये जा चुके है। आरोपी श्री आशाराम मीणा पुत्र श्री रामेश्वर मीणा निवासी सईदावाद थाना अलीगढ जिला टोंक के विरूद्ध बाद अनुसंधान धारा 341, 323, 504, 201, 307 भा0द0स0 का प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी आशाराम मीणा को दिनांक 29.11.2023 को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जा चुका है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर चार्जशीट क्रमांक 166/23 दिनांक 19.12.2023 धारा उपरोक्त मंे कता की जा चुकी है। प्रकरण मंे आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया जाना शेष है। प्रकरण की पत्रावली की प्रमाणित प्रति श्री हेमराज मीणा उपनिरीक्षक पुलिस थानाधिकारी अलीगढ से प्राप्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 03.01.2024 समय 5.30 पी.एम. पर आरोपी आरोपी श्री

रामलाल पुत्र श्री सुजाराम जाति जाट उम्र 50 साल निवासी खुरेडी थाना पीपलु जिला टोक हाल प्लाट नम्बर 14, भगवती नग, केप्टन कॉलोनी, छावनी टोक हाल महायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अलीगढ जिला टोक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री रेखराज मीना उर्फ लाखन मीना पुत्र श्री श्रीलाल मीना से उसके साला आशाराम मीणा के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 179/2023 धारा 341, 323, 504, 201, 307 भा0द0स0 के अनुसंधान में चालान पेश करने की एवज में वक्त मांग सत्यापन 2 हजार रूपये की मांग कर अपनी मांग के अनुसरण में दौरानें ट्रेप कार्यवाही 2,000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथ में ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी वर्दी की पेंट की दाहिनी जेब में रखे, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपी को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। दिनांक 03.01.2024 समय 5.55 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता श्री अजित सिंह कानि. 56 मय स्वतंत्र गवाहान श्री घनश्याम लाल योगी व श्री आफाक अहमद मय परिवादी श्री रेखराज मीना उर्फ लाखन मीना के घटनास्थल पुलिस थाना अलीगढ के बाहर पहुंचकर स्वतंत्र गवाह व परिवादी की उपस्थिति में घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल पृथक से मुर्तिब किया गया। दिनांक 03.01.2024 समय 6.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य ने दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री रामलाल महायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना अलीगढ जिला टोंक व परिवादी श्री रेखराज मीना उर्फ लाखन मीना पुत्र श्री श्रीलाल मीना के मध्य आज दिनांक 03.01.2024 को हुयी मॉग सत्यापन वार्ता व लेन-देन वार्ता जो सरकारी वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड है, सरकारी वॉयस रिकॉर्डर की सहायता से हैड फोन लगाकर वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर सुपरविजन अधिकारी श्री हेमराज मीणा पुत्र श्री राजाराम मीणा जाति मीणा उम्र 54 साल निवासी कावड थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर हाल उपनिरीक्षक थानाधिकारी थाना अलीगढ जिला टोक को सुनवाई गई तो सुपरविजन अधिकारी ने एक आवाज आरोपी रामलाल महायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना अलीगढ की होने की पहचान की। फर्द पहचान आवाज आरोपी की पृथक से तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली कि गई। दिनांक 03.01.2024 समय 7.29 पी.एम.पर मन अतिरक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय गिरफ्तारशुदा आरोपी रामलाल महायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अलीगढ मय सिल्डशुदा व जब्तशुदा आर्टिकल्स ,रिश्वत राशि मय लेपटॉप, प्रिन्टर ,टेªप बक्स के मय प्राईवेट व सरकारी वाहन से ए.सी.बी. कार्यालय टोक के लिये रवाना हुआ। दिनांक 03.01.2024 समय 8.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रामलाल महायक उप निरीक्षक मय सिल्डशुदा सेम्पल व रिश्वती राशि, जप्तशुदा आर्टिकल आदि के मय प्राईवेट वाहन के ए.सी.बी. कार्यालय टोक पहुॅचा। दिनांक 03.01.2024 समय 8.45 पी0एम0 पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमाराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय चालक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी रामलाल सहायक उप निरीक्षक. को साथ लेकर आरोपी के रिहायशी मकान की तलाशी हेतु रवाना हुआ। दिनांक 03.01.2024 समय 9.10 पी0एम0 पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमाराहियान मय आरोपी मय सरकारी वाहन मय चालक के आरोपी के रिहायशी मकान प्लाट नम्बर 14, भगवती नगर, केप्टन कॉलोनी, छावनी टोक पहुंचा, जहां पर पृथक से खाना तलाशी मुर्तिब कर समय 9.40 पी.एम. पर एसीबी चौकी टोंक के लिए रवाना हुआ। दिनांक 03.01.2024 समय 9.50 पी0एम0 पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमाराहियान मय आरोपी मय सरकारी वाहन मय चालक के एसीबी चौकी टोक पहुॅचा। दिनांक 03.01.2024 समय 10 पी.एम. पर रिश्वत मॉग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर परिवादी व आरोपी के बीच रिश्वत मॉग सत्यापन के वक्त रूबरू वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुना गया, उक्त रिकार्ड वार्ता को सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री राजकुमार कानि0 160 से टाईप करवाकर तैयार की गई। दिनांक 03.01.2024 समय 11.10 पी.एम. पर श्री आसिफ खान स.उ.नि. मय श्री राजकुमार कानि. 160 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री गणेश सिंह कानि. 375 मय आरोपी श्री रामलाल सहायक उप निरीक्षक के स्वास्थय परीक्षण व सुरक्षार्थ कोतवाली में छोडने हेतु तहरीर देकर उचित हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 03.01.2024 समय 11.45 पी.एम. पर श्री आसिफ खान स.उ.नि. मय श्री राजकुमार कानि. 160 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री गणेश सिंह कानि. 375 के वापस आये व जाहिर किया किय मय गिरफ्तारशुदा आरोपी रामलाल महायक उप निरीक्षक के रवाना होकर अस्पताल टोक पहुॅचे। आरोपी का स्वास्थय परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की तथा बाद स्वास्थय परीक्षण के रवाना होकर कोतवाली टोक पहुॅचे तथा आरोपी रामलाल सहायक उप निरीक्षक को सुरक्षार्थ कोतवाली टोक में दाखिल करवाकर रसीद प्राप्त की गई। रवाना होकर वापस आये। दिनांक 03.01.2024 समय 11.50 पी. एम. पर रिश्वत लेन-देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर परिवादी व आरोपी के बीच रिश्वत लेन-देन के वक्त रूबरू वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुना गया, उक्त रिकार्ड वार्ता को सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री राजकुमार कानि0 160 से टाईप करवाकर तैयार की गई। दिनांक 04.01.2024 समय 1.30 ए.एम. पर रिश्वत मांग

सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को 3 पेन ड्राईव में कॉपी कर 2 पेन ड्राईव को पृथक-पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क ए-1,ए-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 04.01.2024 समय 2 ए.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 16-16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क "एम अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दिनांक 04.01.2024 समय 2.30 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नमूना व नाशान पीतल की सील मुर्तिब की गई एवं समय 3 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 04.01.2024 समय 3.10 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स धोवण के सिल्ड सैम्पल्स मार्क आर-1, आर-2, एल-1, एल-2, पेन्ट की जेब के धोवण का सेम्पल पी-1, पी-2 एवं पेन्ट पेकिट मार्क-पी, सिल्डशुदा रिश्वती राशि 2000/- रूपये मार्क एन, रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित पेन ड्राईव पैकेट मार्क ए-1, ए-2 एवं वार्ताओं से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड के सिल्ड पैकेट मार्क एम बतौर वजह सबूत जरिये आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक के जमा मालखाना करवाया गया। दिनांक 04.01.2024 समय 3.40 ए.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया है। दिनांक 04.01.2024 समय 4.10 ए.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया है। अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री रामलाल पुत्र श्री सुजाराम जाति जाट उम्र 50 साल निवासी खुरेडी थाना पीपलु जिला टोक हाल प्लाट नम्बर 14, भगवती नगर, केप्टन कॉलोनी, छावनी टोंक हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अलीगढ जिला टोक ने लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री रेखराज मीना उर्फ लाखन मीना पुत्र श्री श्रीलाल मीना से उसके साला आशाराम मीणा के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 179/2023 धारा 341, 323, 504, 201, 307 भा0द0स0 के अनुसंधान में चालान पेश करने की एवज में ए.पी.पी. व कोर्ट मुंशी को देने का बहाना बनाकर सावधानी बरतते हुये वक्त मांग सत्यापन 2000 रूपये की मांग कर अपनी मांग के अनुसरण में दौरानें ट्रेप कार्यवाही 2,000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथो में ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी वर्दी की पेंट की दाहिनी जेब में रखे, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी। आरोपी के दोनों हाथों एवं पेन्ट की जेब का धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः श्री रामलाल पुत्र श्री सुजाराम जाति जाट उम्र 50 साल निवासी खुरेडी थाना पीपलु जिला टोक हाल प्लाट नम्बर 14, भगवती नगर, केप्टन कॉलोनी, छावनी टोक हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अलीगढ जिला टोक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है। राजेश आर्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में आरोपी श्री रामलाल पुत्र श्री सूजाराम जाट, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना अलीगढ, जिला टोंक के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 01/2024 धारा उपरोक्त में पंजीबद्ध कर प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है। उपरोक्त के सम्वंध में रोजनामचा आम में रपट संख्या 62 दिनांक 04.01.2024 अंकित की गई।

एसडी-श्री रणधीर सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
क्रमांक 1-4 दिनांक 04.01.2024
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर
3. पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक

4. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

एसडी-श्री रणधीर सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Narsi Lal Meena Rank (पद): निरीक्षक
No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan_IN
Date: 04/01/2024 20:30:53

उप महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

Name(नाम): Randheer Singh
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)